राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – ।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दि़ल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
**www.delhijalboard.nic.in**

66-85

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई) / अपील न0 1339 / 2015 / दिनांकः 05.06.2015

श्री कृष्ण कुमार शर्मा,
बी–899, गली न0 28,
सन्त नगर, बुराड़ी,
दिल्ली–110084.

उप निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0प0– ।

## आदेश

इस आदेश द्वारा श्री कृष्ण कुमार शर्मा, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 11.05..2015 (आई0डी0न0: 130) का निपटान किया गया।

दिनांक 04.06..2015 को अपील की सुनवाई की गई नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा, एवं श्री राजेश्वर तिवारी, जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील में अपीलकर्त्ता ने जानकारी दी कि उसने दिनांक 19.03.2015 को जनसूचना अधिकारी कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र दिया था जिसका उत्तर मुझे दिनांक 27.04.2015 को 39 दिन के पश्चात दिया गया । जनसूचना अधिकारी के कथनानुसार दिनाक 17.04.2015 (शुक्रवार) को हस्ताक्षर करके पत्र प्रेषण हेतु दे दिया था किन्तु 18.04.2015 व 19.04.2015 को साप्ताहिक अवकाश के कारण 20.04.2015 (सोमवार) को पत्र प्रेषित किया जा सका जो कि आर0टी0आई0 एक्ट के नियमों के अन्तर्गत सही है । अपीलकर्त्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में जनवरी–2010 से 03.07.2013 तक क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)– ।।, मुखर्जी पगर से बुराड़ी क्षेत्र को पूर्ण में जमा विकास शुल्क के आधार पर 1100 से 2300 रूपये के शुल्क के साथ आवंटित किए गए आवंटन पंजिका व विकास शुल्क (क्षेत्रफल, राशि व वर्ष) का उल्लेख कर सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु कहा है । जिसके जवाब में जनसूचना अधिकारी ने उन्हें 8550 रूपये (सत्यापित प्रतिलिपियां प्रदान करने के लिए) जमा कराने का निर्देश दिया है। अपीलकर्त्ता ने अपील में आवेदन किया है कि मुझे जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 27.04.2015 को 30 दिन के बजाय 39 दिन के पश्चात उत्तर दिया जो कि आर0टी0आई0 एक्ट के नियमों के विरूद्ध है अत; मुझे सूचना निशुल्क प्रदान की जाए । आवेदन में मांगी गई सूचना लगभग 700 पृष्ठों की बनती है इसलिए इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दिन व निर्धारित समय पर क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)– ।।, बुराड़ी कार्यालय में जाकर सभी दस्तावेजों का निरीक्षण कर लें और जो आवश्यक दस्तावेज हों उनकी प्रतिलिपि ले लें जिससे कि अनावश्यक कागजों की बर्बादी को रोका जा सके।

2638
17/06/15

A.E(D) W programmer I

17-6-15

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल,बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0/–
अमित सतीजा
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, बी–899, गली न0 28, सन्त नगर, बुराड़ी, दिल्ली–110084.
2. उप निदेशक (राजस्व) उ0/उ0प0–।
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)–।।, बुराड़ी ।
4. अधिशसी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

5/6/15

प्रथम अपीलीय अधिकारी